

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिष्ठान से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1983/पौष 21, 1904
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1983/PAUSA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अभिमुखता

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

सं. 8/83-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा. का. नि. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक
अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पादशुल्क (पहला संशोधन)
नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 82घ में "223क" अंको और अक्षर के स्थान पर "223-क, 223-ख" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[सं. 5/83/फा. सं. 14/49/82-सी एक्स-आई]
आर. देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 1983

No. 5/83-Central Excises

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Central Excise (First Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 92-D of the Central Excise Rules, 1944, for the figures and letter "223-A," the figures and letters "223A, 223B," shall be substituted.

[No. 5/83/F. No. 14/49/82 CXI]
R. DEB, Under Secy.